सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **136/2015** दायर दिनाँक **03.08.2015**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मूलाराम पुत्र बिड़दाराम, 2. नोलाराम पुत्र बिड़दाराम, (फौत) का वारिस– 02/01 टीकूराम पुत्र स्वर्गीय नौलाराम, 3. मानाराम दत्तकपुत्र जोराराम, 4. रामनिवास पुत्र मांगूराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणीदेवी पुत्री गोपीराम पत्नी रतनाराम, जाति–जाट, निवासी–सिंगरावटछोटी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, (फौत), की वारिस– 01/01 सुगनीदेवी पत्नी चुनाराम, जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. औमप्रकाश पुत्र गोरधनराम, 3. घासीराम पुत्र गोरधनराम, 4. भँवरी पत्नी गोरधनराम, 5. चुनाराम पुत्र सोनाराम, 6. मु. केसर पत्नी स्वर्गीय पेमाराम, 7. नाथू पुत्र पेमाराम, 8. शिवभगवान पुत्र पेमाराम, 9. गोरधन पुत्र पेमाराम, 10. टोडाराम पुत्र पन्नाराम, (फौत), के वारिसान्– 10/01 छोटीदेवी पत्नी स्वर्गीय टोडाराम, 10/02 रामदेव पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/03 हरिराम पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/04 भोमाराम पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/05 नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/06 मन्नीदेवी पुत्री स्वर्गीय टोडाराम, 10/07 गीतादेवी पुत्री स्वर्गीय टोडाराम, 10/08 जैतादेवी पुत्री स्वर्गीय टोडाराम, 11. रामी पत्नी हनुमानाराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 136/2015
दायर दिनाँक 03.09.2015, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
मूलाराम, वगैरा बनाम् नारायणी, वगैरा।

		12. गणेशाराम दत्तकपुत्र जीवण, समस्त,जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. उप तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री दुर्जाराम पुनिया, वकील, वादीगण।
2. श्री शरीफ शेरानी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01/01, 05, 10/01 ता 10/08 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनियाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11 व 12 की ओर से।

दिनाँक 15.02.2019

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा तारपुरा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 25.03 बीघा पैतृक खेत में वादीगण संख्या 01 ता 07 व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 काबिज हैं।

उक्त खेत सम्वत् 2017 में बिड़दाराम व पन्नाराम पिसरान सुखाराम हिस्सा 02/03 तथा मुस्तमास तिजूदेवी पत्नि गोपीराम हिस्सा 02/03 की खातेदारी में गलत दर्ज हुआ था, इसके अलावा मुस्तमास तिजूदेवी ने सैटलमेन्ट के दौरान बाला–बाला बिना अधिकार मिसल संख्या 126/61 तारीख फेसला 27.12.1961 के अनुसार कुल खेत अपने अकेली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया, जो वादीगण के हितों के प्रति बेअसर है। ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। नकल खसरा भू–प्रबन्ध सम्वत् 2017 का पेश है। उक्त खेत में बिड़दाराम व पन्नाराम ही काश्त करते थे। गोपीराम अपनी छोटी उम्र सन् 1936 में ही फौत हो गया था। तिजू पत्नी स्वर्गीय गोपी बिड़दाराम व पन्नाराम के शामिल रहती थी उसकी एकमात्र लड़की नारायणी थी जिसकी शादी विवाह भी बिड़दाराम व

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 136/2015
दायर दिनाँक 03.08.2015, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
मूलाराम, वगैरा बनाम् नारायणी, वगैरा।

पन्नाराम ने की थी। वास्तव में उक्त खेत पर कब्जा बिड़दाराम व पन्नाराम का था उनकी मृत्यु के बाद से आज तक उक्त खेत वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 काश्त करते है। नारायणी का इस खेत पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है।

उक्त गलत खातेदारी की ओट में मुस्तमास तिजू ने बिना अधिकार दिनाँक 01.03.1988 को उक्त पैतृक सम्पत्ति का एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपनी लड़की नारायणी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम करवा दिया, जिसका इल्म वादीगण को नहीं हुआ। उक्त खेत की खातेदारी तिजूदेवी के नाम से गलत दर्ज थी और खेत पैतृक था तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के बन्ट में आया हुआ था इसलिए जोराराम, नोलाराम, गीधाराम, जीवणराम, मूलाराम, मांगूराम के करने से एक दूसरा वसीयतनामा दिनाँक 13.03.1988 को अपनी रजामन्दी व स्वरचित से बिड़दाराम व पन्नाराम के वारिसान् के नाम कर दी, जिसकी नकल पेश है। असल वसीयत वादीगण के पास है, जिसकी नकल पेश है। यह वसीयतनामा मुस्तमास तिजूदेवी की अन्तिम वसीयत है। स्वर्गीय बिड़दा व पन्ना के वारिसान् के पास तिजूदेवी रहती थी और उसके जीवनकाल में बिड़दाराम व पन्नाराम के वारिसान् ने ही उसकी सेवा की थी और उसके मरने पर उसके फूल भी गंगाजी वादीगण ने ही पहुँचाए थे तथा गंगाप्रसादी भी वादीगण व प्रतिवादी ने की थी। मुस्तमास तिजूदेवी द्वारा नारायणी के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड वसीयतनामा अवैध है और वादीगण के अधिकारों के प्रति बेअसर है।

मुस्तमास नारायणी अपने ससुराल के कुछ लोगों के बहकावे में आकर उक्त गलत वसीयत की ओट में एक राजस्व वाद संख्या 133/88 दिनाँक 14.06.1988 को घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जो दिनाँक 31.12.1992 को तनकियात् कायम होने के बाद व मुस्तमास नारायणी के अदालत में हुए बयानों के बाद खारीज किया गया, सम्बन्धित नकलें पेश है। नारायणी का इस जमीन में कोई अधिकार न तो था न ही है।

उक्त दावा संख्या 133/88 नारायणी बनाम् फेफली में मुस्तमास नारायणी ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें खेत का कब्जाकाश्त वादीगण का माना गया है। स्वयं नारायणी ने अपने बयानों में इस खेत को पैतृक सम्पत्ति होना बताया है तथा कब्जा पीढियों से वादीगण का होना कबूल किया है।

सहायक कलेक्टर
सोजत (पाली)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 136/2015
दायर दिनाँक 03.08.2015, निर्णय दिनाँक 15.02.2019
मूलाराम, वगैरा बनाम् नारायणी, वगैरा।

स्वर्गीय गोपीराम का देहान्त वाद पेशगी से करीब 65 वर्ष पूर्व हो गया था उस समय उक्त खेत की खातेदारी में मुस्तमास तिजूदेवी व नारायणीदेवी का कोई अधिकार पैदा होने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए उक्त खेत में गोपीराम के स्वर्गवास के बाद बिड़दाराम व पन्नाराम के अकेलों का हुआ जो अब उनके वारिसान् का है। नारायणी का इस खेत में कोई हक व अधिकार नहीं है न स्वर्गीय तिजूदेवी का इस खेत में अधिकार है न था।

प्रतिवादी नारायणी की नियत साफ नहीं है वह उक्त खेत का नामान्तरकरण अपने नाम करवाकर उक्त खेत को अन्य व्यक्तियों को बेचना चाहती है। ऐसा होने से वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये हैं। वादीगण के जायज अधिकारों को नारायणी चुतौति दे रही है। इसलिए वादीगण को यह घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

उक्त खेत में स्वर्गीय बिड़दाराम व स्वर्गीय पन्नाराम के वारिसान् का आधा–आधा हिस्सा है और खेत सिरौला है बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टा हुआ नहीं है। वे मुस्तमास नारायणी से साँठ–गाँर कर चुके हैं और वादीगण को उक्त खेत के उनके हिस्से से महरूम रखना चाहते हैं और बन्टवारा करने से इन्कार हैं तथा अपना हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 मुस्तमास नारायणी को देना चाहते है। इसलिए वादीगण को यह बन्टवारा का दावा करना लाजमी हुआ है।

मुआमला पैतृक अचल सम्पत्ति का है। यह जमीन स्वर्गीय बिड़दाराम व पन्नाराम की खातेदारी व कब्जाकाश्त की पीढियों से है। गोपीराम वाद पेशगी से 65 वर्ष पहले सन् 1935 के लगभग फौत हो चुका था उस वक्त उसकी औरत व लड़की का कोई हक व अधिकार कानून में पैदा नहीं हुआ था क्योंकि हिन्दू सक्सेशन उत्तराधिकार अधिनियम् सन् 1956 में लागू हुआ है। बिड़दाराम व पन्नाराम के वारिसान् वादीगण को उनके कब्जासुदा खेत से कानून को हाथ में लेकर बेदखल करने से अजहद नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी। इसके अलावा नारायणी आमादा फिसाद है और झगडा करने पर उतारू है इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी हुआ।

स्वर्गीय सुखाराम का एक लड़का लूणाराम था जो अपने ननिहाल गोद चला गया इसलिए उसका हक अधिकार इस खेत मे नहीं रहा है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पन्नाराम का लड़का मोहनराम अविवाहित ही फौत हो गया इसलिए मोहनराम का हक प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 में निहित है।

बन्टवारे के दावे में उप तहसीलदार मौलासर को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है उनके खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है।

प्रतिवादी संख्या 06 गणेशाराम का हित वादीगण के साथ है भिन्न नहीं है। वह फौज में नौकर है इसलिए उसके प्रतिवादी प्रफोर्मा बनाया गया है।

बिनाय दावा सम्वत् हाल में प्रतिवादी संख्या 01 नारायणी द्वारा नामान्तरकरण अपने नाम से करवाने का प्रयास करने से व आमादा फिसाद होने से व गलत खातेदारी तिजूदेवी के नाम दर्ज होने से व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 द्वारा बन्टवारा करने से इन्कार होने से बमुकाम तारपुरा अन्दर हदुद अदालत वाला पैदा हुआ।

वादीगण की प्रार्थना है कि,

मौजा तारपुरा की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 25.03 बीघा की खातेदारी वादीगण संख्या 01 ता 07 व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 की बेहिस्सा बराबर–बराबर घोषित की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में इसी माफिक दुरस्ती की जावे।

उक्त जमीन का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 06 तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 के हक में किया जावे।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 13 के बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद में निम्न तनकियात कायम किये गये–

1. आया वादीगण तारपुरा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 25.03 बीघा की खातेदारी अपने पक्ष में घोषित करवाने के अधिकारी हैं?

वादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

2. आया वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 उक्त खेत का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कराने के अधिकारी हैं?

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06,

3. आया वादीगण अपने हिस्से की जमीन के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा, प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 06 के विरूद्ध जारी करवाने के अधिकारी हैं?

वादीगण,

4. दादरसी क्या है?
5. आया वादीगण विवादित आराजी खसरा सं0 36 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी एडवर्स पजेशन (विपरीत कब्जा) के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण

साबिक तनकीयात्, वाद व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसारः–

मौजा तारपुरा की सरहद में खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 25.03 बीघा स्थित है जिस बाबत् वादीगण मूलाराम पुत्र बिड़दाराम, रामनिवास पुत्र मांगूराम का कथन है कि उक्त उनकी पैतृक सम्पत्ति है जिस बाबत् इन्होंने दावा न्यायालय सहायक कलक्टर डीडवाना में दिनाँक 10.02.2000 को घोषणा खातेदारी, बन्टवारा खेत व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के पेश किया। जो दावा न्यायालय दर्ज रजिस्टर हुआ जिसके मुकदमे नम्बर 127/2000 है इसके पश्चात् यह दावा दावा दिनाँक 03.03.2000 को न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना में स्थानान्तरित किया, जिसके मुकदमे नम्बर 215/2000 है। इसके बाद प्रतिवादीनी नारायणी की तरफ से वकील श्री खांगाराम खिलेरी ने जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल है।

दौनों पक्षों की शहादत ली गयी और शहादत पेश होने के बाद दौनों पक्षों को सुनकर पत्रावली पर आये साक्ष्यों का अवलोकन व मनन् कर दिनाँक 14.07.2003 को न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने निर्णय व डिक्री पारित की।

उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध मुस्मात् नारायणी ने माननीय न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधीकारी नागौर के यहाँ अपील की। उक्त अपील का निर्णय दिनाँक 08.01.2004 को किया गया। अपील में अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना का मुकदमा नम्बर 215/2000 में पारित निर्णय व डिक्री दिनाँक 14.07.2003 निरस्त की गयी और उक्त खेत

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 36 रकबा 25.03 बीघा भूमि वाकै ग्राम तारपुरा का रकबा बदस्तूर अपीलार्थी नारायणी की खातेदारी व कब्जाकाश्त में रहने का अदेश पारित किया गया।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी मूलाराम, नौलाराम, मानाराम व रामनिवास ने नारायणी वगैरा के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पेश की। उक्त अपील के मुकदमा नम्बर 141/2004 है। उक्त अपील का निर्णय दिनाँक 15.06.2000 को आंशिक रूप से स्वीकार कर दौनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनाँक 08.01.2004 व 07.04.2003 निरस्त किये गये और प्रकरण सहायक कलक्टर डीडवाना को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि, प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर नये सिरे से विधिसम्मत् तरीके से वाद का निस्तारण करें। उभयपक्ष को सहायक कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में दिनाँक 02.07.2015 को उपस्थित होने के लिए पावन्द किया गया परन्तु पत्रावली इस न्यायालय में दिनाँक 03.08.2015 को प्राप्त हुई और इस न्यायालय में वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसके मुकदमा नम्बर 136/2015 है।

इसके बाद दौनों को जरिये सम्मन के तलब किया गया। दिनाँक 29.09.2015 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 01 सुगनीदेवी की ओर से वकील श्री एन.के.ओझा ने वकालतनामा पेश करने का अवसर चाहा जो दिया गया। प्रतिवादी संख्या 03, 04, 06, 09, 11, 12 की ओर से वकील श्री ओमप्रकाश पूनियाँ ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादीगण संख्या 07 व 08 की ओर से अण्डरटेकिंग दी। प्रतिवादी संख्या 02, 05, 10 के सम्मन विधिवत् तामील नहीं हुए, जिनमें पुनः पेश करने की हिदायत दी गयी। प्रतिवादी संख्या 13 बावजूद इत्तला के अनुपस्थित है जिसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली वास्ते जवाब व तलबी व वकालतनामा पेश करने हेतु दिनाँक 16.10.2015 को रखी गयी। अधिवक्ता वादी को संशोधित शीर्षक पेश करने का अवसर दिया गया।

इसके बाद दिनाँक 11.12.2015 को सुगनीदेवी की तरफ से वकालतनामा पेश हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद तामिलगी के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी व दिनाँक 02.03.2016 को संशोधित शीर्षक पेश करने का अन्तिम अवसर दिया गया तत्पश्चात् दिनाँक 30.06.2018 को सुगनीदेवी की ओर से वकील श्री शरीफ शेरानी ने वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया और

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनाँक 06.07.2018 को संशोधित शीर्षक पेश हुआ तथा वकील वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिस पर दिनाँक 12.07.2018 को बहस सुनी गयी और प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। दिनाँक 20.07.2018 को प्रतिवादी संख्या 05, 10/01 ता 10/08 की ओर से वकील श्री शरीफ शेरानी ने अपना वकालतनामा पेश किया। दिनाँक 18.09.2018 को वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि, प्रतिवादी संख्या 05 व 10/01 ता 10/08 की ओर से जवाब पेश करना नहीं चाहते हैं तथा प्रतिवादी संख्या 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11 व 12 की तरफ से वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश करना नहीं चाहा।

प्रतिवादी संख्या 01/01 की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिसपर वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की सारगर्भित बहस सुनी गयीं पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया और उक्त साबिक तनकियात् पर निम्न निर्णय किये गये:–

तनकी संख्या 01 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा इसे साबित करने हेतु प्रदर्श–1 नकल खतौनी सं0 2054–57, प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सं0 2017, प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सं0 2011 से 2022, नकल खतोनी प्रदर्श–4 सं0 2011 से 2014, 2014–2017, 2022–2025, 2030–2033, प्रदर्श–5 डिक्री पर्चा वाद सं0 133/92, प्रदर्श–6 नकल बयान प्रतिवादी सं0 एक अन्तर्गत वाद सं0 133/92 व नकल निर्णय वाद सं0 133/92 दिनांक 03.12.1992 पेश किये। प्रदर्श–1 में तीजु पत्नी गोपीराम की खातेदारी दर्ज है। प्रदर्श–2 में खसरा गिरदावरी सं0 2017 में कॉलम सं0 22 मे बिरदिया,पन्ना पिसरान सुखा 2/3 व तीजुडी 1/3 दर्ज है जो दिनांक 27.12.61 को खारिज कर अकेली तीजुडी के नाम दर्ज किया गया। इससे यह प्रमाणित है कि संयुक्त कब्जे काश्त की अकेली खातेदारी तीजुदेवी की हो गई थी। प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सं0 2011–2022 तक काश्त प्रदर्श–2 के अनुसार है। अर्थात बिरदिया, पन्ना 2/3 व तीजुडी 1/3 है। प्रदर्श–4 खतोनी सं0 2011–14 में भी उक्त प्रविष्टि है। संवत 2022 से 2025 के दौरान तीजुडी के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। प्रदर्श–5 डिक्री पर्चा है जिसमें प्रतिवादी सं0 एक का पूर्व वाद सं0 133/92 खारिज किया गया है। प्रदर्श–6 प्रतिवादी सं0 एक नारायणी के बयान अन्तर्गत वाद सं0

133/92 है। जिसमें नारायणी ने यह स्वीकार किया था कि उसकी मां के मरने के समय से प्रतिवादीगण जबरन काश्त कर लेते है साथ ही यह भी स्वीकार किया था कि उसकी मां के मरने के बाद 2–3 साल तक प्रतिवादीगण ने बांटा दिया था। प्रतिवादी संख्या 1/1 सुगनीदेवी ने अपने बयान डी डब्ल्यू 3 में कहा कि खसरा नम्बर 36 रकबा 25.03 बीघा मौजा तारपुरा में मेरा और मेरे पति का कोई हक अधिकार नहीं है। डी डब्ल्यू 4 प्रतिवादी हरिराम व डी डब्ल्यू 6 औमप्रकाश के बयानों से उनके कब्जाकाश्त साबित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की पूर्व में संयुक्त कब्जे काश्त की थी परन्तु बाद में वह अकेली प्रतिवादी सं0 एक की माता तीजुडी के नाम दर्ज हो गई। मौखिक साक्ष्य में वादीगणके विश्लेषण से विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादीगण संख्या 01 व 04 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 का कब्जा काश्त होना प्रमाणित है। साथ ही यह भी साबित है कि विवादित आराजी वादीगण की पैतुक खातेदारी की भी रही है। प्रतिवादीगण ने विधिवत जवाब दावा पेश नहीं किया है व न कोई दस्तावेज ही पेश किये है। जिससे वादीगण के वाद को वे गलत साबित करने में विफल रहे है। मात्र मौखिक शहादत में प्रतिवादी सं0 एक अपने बयानों में अपने पूर्व बयान प्रदर्श–6 को इन्कार किया हैं जिससे प्रतिवादी सं0 एक के बयान डी डब्लू –1 अविश्वसनीय साबित होता है। प्रतिवादी सं0 02 ता 06 ने मौखिक साक्ष्य में सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त प्रतिवादी सं0 एक का ही माना है। वादी सं0 5 ओमप्रकाश पुत्र गोरधनराम ने वादी रहते हुए प्रतिवादीगण के गवाह के रूप में डी डब्लू–6 के रूप में बयान कराये है एवं कब्जा काश्त प्रतिवादी सं0 एक का होना बताया परन्तु न्यायिक दृष्टि से इसे उचित नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी के गवाह के रूप में बयान करने से पूर्व उक्त वादी सं0 05 को अपने आपको प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित करवाना चाहिए था।

प्रतिवादीगण की दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में मात्र मौखिक साक्ष्य से जिसमें से प्रतिवादी सं0 एक द्वारा पूर्व में स्वयं के वाद सं0 133/92 में दिये गये बयानां से इन्कार के कारण गवाह अविश्वसनीय करार दिया जा चुका है। जिससे वादीगण के वाद के विरूद्ध कोई विपरीत तथ्य प्रतिवादीगण प्रमाणित करने में असफल रहे है। वादीगण इससे विवादित आराजी पर अपना कब्जा काश्त साबित करने मे सफल रहे है,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

परन्तु वादी संख्या 02, नोलाराम का वारिस टीकूराम वादी संख्या 2/1 का उक्त खेत पर कब्जाकाश्त साबित नहीं है तथा वादी संख्या 03 मानाराम दत्तकपुत्र जोराराम ने दत्तकपुत्र होने का कोई सबूत पेश नहीं किया इसलिए वादीगण संख्या 02/01 व 03 विवादित खेत पर कोई हक और अधिकार नहीं है। वादी संख्या 01 व 04 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 ने विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी चाही है जिससे अधिक खातेदारी चाहने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 01 को आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में साबित माना जाता है। प्रतिवादी सं0 06, 07, 08, 09 व 11 का विवादित आराजी में 1/2 हिस्से तक खातेदारी अधिकार अर्जित करने के संबंध में तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– उक्त तनकी में चाही गई रिलिफ को वादीगण द्वारा विड्रा किया जा चुका है। अतः इस तनकी को हटाया जाता है।

तनकी संख्या 03 :–इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 01 ता 05 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है। वादीगण द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से विवादित आराजी में अपने कब्जे को प्रमाणित किया है एवं तनकी संख्या एक में दिये गये वर्णन के अनुसार उन्हे आंशिक रूप से विवादित आराजी में खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। जिससे वे इस हिस्से तक प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 03 को भी वादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

तनकी संख्या 04:– उक्त तनकी अनुतोष बाबत है। जिसका निर्णय अन्त में किया जावेगा।

तनकी संख्या 05 :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा इसे साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी सं0 2017, प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सं0 2011–2022 व प्रदर्श–6 बयान प्रतिवादी सं0 एक दिनांक 23.11.92 पेश किया है। प्रदर्श–2 व 3 में सं0 2011 से 2022 तक विवादित आराजी पर वादीगण का भी कब्जा काश्त दर्शाया गया है। इसके पश्चात 1961 में तीजुडी के नाम खातेदारी आने पर भी दिनांक 23.11.1992 को प्रतिवादी सं0 एक के पूर्व वाद सं0 133/92 में हुए बयानों में वादीगण का कब्जा होना स्वीकार किया था तथा प्रतिवादी संख्या 1/1 सुगनीदेवी ने अपने बयान डी डब्ल्यू 3 में कहा कि खसरा नम्बर 36 रकबा 25.03 बीघा मौजा तारपुरा में मेरा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

और मेरे पति का कोई हक अधिकार नहीं है। वादीगण की मौखिक साक्ष्य से आज भी वादीगण का कब्जा होना पाया जाता है। जो एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार अर्जित करने के लिए पर्याप्त है। अतः इस तनकी को भी आंशिक रूप से विवादित आराजी के 1/2 हिस्से तक वादीगण सं0 01 व 04 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में तय की जाती है।

उपर्युक्त तनकीवार विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाना अदालत को उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद निम्न आदेश माफिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद तारपुरा के खेत खसरा संख्या 36 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी वादी संख्या 01 व वादी संख्या 04 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 के हक में घोषित की जाती है तथा शेष हिस्सा 1/2 भाग भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 06, 07, 08, 09 व 11 के हक में घोषित की जाती है एवं शेष खातेदारान का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री वमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अजे अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 136/2015 दायर दिनांक 03.08.2015

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मूलाराम पुत्र बिड़दाराम, 2. नौलाराम पुत्र बिड़दाराम, (फौत) का वारिस- 02/01 टीकूराम पुत्र स्वर्गीय नौलाराम, 3. मानाराम दत्तकपुत्र जोराराम, 4. रामनिवास पुत्र मांगूराम, 5. समस्त,जाति-जाट, निवासी-तारपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणीदेवी पुत्री गोपीराम पत्नी रतनाराम, जाति-जाट, निवासी-सिंगरावटछोटी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, (फौत), की वारिस- 01/01 सुगनीदेवी पत्नी चुनाराम, जाति-जाट, निवासी-तारपुरा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 2. ओमप्रकाश पुत्र गोरधनराम, 3. घासीराम पुत्र गोरधनराम, 4. भँवरी पत्नी गोरधनराम, 5. चुनाराम पुत्र सोनाराम, 6. मु. केसर पत्नी स्वर्गीय पेमाराम, 7. नाथू पुत्र पेमाराम, 8. शिवभगवान पुत्र पेमाराम, 9. गोरधन पुत्र पेमाराम, 10. टोडाराम पुत्र पन्नाराम, (फौत), के वारिसान्- 10/01 छोटीदेवी पत्नी स्वर्गीय टोडाराम, 10/02 रामदेव पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/03 हरिराम पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/04 भोमाराम पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/05 नेमीचन्द पुत्र स्वर्गीय टोडाराम, 10/06 मन्नीदेवी पुत्री स्वर्गीय टोडाराम, 10/07 गीतादेवी पुत्री स्वर्गीय टोडाराम, 10/08 जैतादेवी पुत्री स्वर्गीय टोडाराम, 11. रामी पत्नी हनुमानाराम, 12. गणेशाराम दत्तकपुत्र जीवण, समस्त,जाति-जाट,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

		निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. उप तहसीलदार मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

दिनाँक **15.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री दुर्जाराम पूनिया वकील वादीगण व श्री शरीफ शेरानी, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01/01, 05, 10/01 ता 10/08 व श्री ओमप्रकाश पूनियाँ, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11 व 12 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद तारपुरा के खेत खसरा संख्या 36 रकबा 25 बीघा 03 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी वादी संख्या 01 व वादी संख्या 04 तथा प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 12 के हक में घोषित की जाती है तथा शेष हिस्सा 1/2 भाग भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 06, 07, 08, 09 व 11 के हक में घोषित की जाती है एवं शेष खातेदारान का नाम इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....
.–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–136–2015/रीडर/2019/ 184 दिनांक 24/1/19

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 R.T. Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मूलाराम पुत्र बिड़दाराम, वगैराह समस्त,जाति–जाट, निवासी–तारपुरा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. नारायणीदेवी पुत्री गोपीराम पत्नी रतनाराम, वगैराह जाति–जाट, निवासी–सिंगरावटछोटी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner